सं0-194जेएल/22-3-25-ई- 1922914

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 02-05-2025

विषयः- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण पंकज पारासर पुत्र राजकरण परासर उर्फ राज करन शर्मा एवं देव शर्मा पुत्र भीष्म देव शर्मा को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-17120/सामा-1(5)/125/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 16-04-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	विचाराधीन बन्दियों के नाम/पिता के नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है
1	2	3	4
01	पंकज पारासर पुत्र राजकरण परासर उर्फ राज करन शर्मा बन्दी संख्या-498/25	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	जिला कारागार, प्रतापगढ़।
02	देव शर्मा पुत्र भीष्म देव शर्मा बन्दी संख्या-497/2025	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	जिला कारागार, झाँसी।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4-जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/झाँसी/प्रतापगढ़।

5- पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, झाँसी /प्रतापगढ़।

6- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,जिला कारागार,गौतमबुद्धनगर/ झाँसी /प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों के कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना अनुभाग के ई-मेल के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in